

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. एक. 2047 / स्वा.का.पु. / 2020 / 498

दिनांक : 9.9.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में माह मार्च-2020 से अगस्त-2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति अवधि में 01 माह से 06 माह तक की अवधि में वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102001759 दिनांक 30.03.2020 से प्राप्त सहमत लेखानुसार में अभिवृद्धि की गई थी। विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना में एम.पी.डब्ल्यू के पद पर कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति अवधि में भी 01 माह से 06 तक की अभिवृद्धि की गई है।

उपरोक्त क्रम में स्पष्ट है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1963 के एमपीडब्ल्यू संवर्ग ग्रुप ए-II हैल्थ साईड में आते हैं।

अतः विभाग में एमपीडब्ल्यू पद पर कार्यरत कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि मार्च 2020 से अगस्त-2020 के मध्य आती है, को उनकी अधिवार्षिकी आयु पर ही सेवानिवृत्त किया जाना सुनिश्चित करे।



(मुकुल शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक. एक. 2047 / स्वा.का.पु. / 2020 / 498

दिनांक : 9.9.2020

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति, नगर, जयपुर।
4. मरत संशुभत निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. मरत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. मरत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. मरत डेप्युटी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. सर्वे, प्रो. रुम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आभागीर वेबसाईट पर अपलोड करे एवं संबंधित कार्यालयों को द्वारा ई-मेल सूचित करे।
9. आदेश/संक्षिप्त पत्रावली।



अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर